रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23052026-272829
CG-DL-E-23052026-272829

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 361] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 22, 2026/ज्येष्ठ 1, 1948
No. 361] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 22, 2026/JYAISTHA 1, 1948

## ग्रामीण विकास मंत्रालय

## (ग्रामीण विकास विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मई, 2026

**सा.का.नि. 402(अ).—** केंद्रीय सरकार द्वारा , विकसित भारत—रोजगार और आजीविका के लिए गारन्टी मिशन (ग्रामीण): वीबी—जी राम जी (विकसित भारत—जी राम जी) अधिनियम, 2025 (2025 का 36) की धारा 33 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 33 की उप-धारा (2) के खंड (ङ) और धारा 23 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि को या उसके पश्चात् बनाए जाने के लिए प्रस्तावित नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है; और एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीस दिनों की अवधि के अवसान के पश्चात् विचार किया जाएगा।

आपत्तियाँ अथवा सुझाव, यदि कोई हों, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से निर्दिष्ट अवधि के भीतर श्री दीपक कुमार, अवर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, द्वितीय तल, कर्तव्य भवन–3, नई दिल्ली – 110001 को संबोधित किए जा सकते हैं अथवा suggestion-vbgramg@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से प्रेषित किए जा सकते हैं।

उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

## मसौदा नियम

**1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ-** (1) इन नियमों को विकसित भारत—रोजगार और आजीविका के लिए गारन्टी मिशन (ग्रामीण): वीबी—जी राम जी (विकसित भारत—जी राम जी):, मजदूरी और बेरोजगारी भत्ता भुगतान पद्धति नियम-2026 कहा जा सकता है ।

(2) ये नियम आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

**2. परिभाषा:** (1) इस नियम में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा आवश्यकता न हो –

(क) "अधिनियम" से विकसित भारत – रोज़गार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (विकसित भारत – जी राम जी) अधिनियम, 2025 (2025 का सं. 36) अभिप्रेत है**;**

(ख) "कार्यक्रम अधिकारी" का अर्थ अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (1) के तहत नियुक्त अधिकारी है।

(ग) "राज्य" का अर्थ है संविधान की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट राज्य और इसमें एक संघ राज्यक्षेत्र शामिल है; तथा

(घ) यहाँ प्रयुक्त तथा परिभाषित न किए गए, किन्तु 2025 के अधिनियम में परिभाषित अन्य सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो 2025 के अधिनियम में क्रमशः उनके लिए नियत किए गए हैं।

3. **मजदूरी और बेरोजगारी भत्ता के भुगतान की पद्धति (1)** मजदूरी और बेरोजगारी भत्ता के सभी भुगतान लाभार्थी के बैंक या डाकघर खाते में सीधे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से किया जाएगा।

(2) इस तरह के भुगतान नकदरहित तरीके से किए जाएंगे, और नकद में किसी भी भुगतान की अनुमति नहीं दी जाएगी। बशर्ते कि, असाधारण परिस्थितियों में, केंद्रीय सरकार, आदेश द्वारा, इस उप-धारा (2) के प्रावधानों से छूट दे सकती है।

(3) सभी मजदूरी भुगतान केंद्र प्रायोजित योजना रुपरेखा के तहत केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित मौजूदा निधि-प्रवाह तंत्र के अनुरूप किया जाएगा।

(4) बेरोजगारी भत्तों के लिए राज्य द्वारा सभी भुगतान केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित मौजूदा निधि-प्रवाह तंत्र के अनुरूप किया जाएगा।

(5) सभी भुगतानों को योजना के निर्दिष्ट प्रबंधन सूचना प्रणाली या समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए जाने वाले ऐसे अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से संसाधित किया जाएगा।

(6) दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, भुगतान आधार भुगतान ब्रिज सिस्टम (एपीबीएस) या ऐसे अन्य आधार-आधारित या वैकल्पिक प्रमाणीकरण तंत्र के माध्यम से किया जाएगा, जैसा कि लागू कानून के अधीन, केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

(7) भुगतान आदेशों की गणना, सृजन और संसाधित योजना की डिजिटल प्रणालियों के माध्यम से किया जाएगा।

(8) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह के सभी भुगतान निर्दिष्ट प्रबंधन सूचना प्रणाली में विधिवत दर्ज किए जाएं।

(9) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार असाधारण परिस्थितियों में, आदेश द्वारा, इस धारा के किसी भी प्रावधान में ढील दे सकती है या छूट प्रदान कर सकती है।

[ फा. सं. जे-11015/2/2025-यू.एस.- आर. ई. –V]

रोहिणी रा भाजीभाकरे, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT**

**(Department of Rural Development)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd May, 2026

**G.S.R. 402(E).—**Draft of rules proposed to be made by the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 33 read with clause (m) of sub-section (2) of section 33, and sub-section (4) of section 23 of the Viksit Bharat - Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB – G RAM G (विकसित भारत - जी राम जी) Act, 2025 (36 of 2025), on or after the date of coming into force of the Act, are hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of this notification as published in Official Gazette, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed, within the stipulated period from the date of publication of this notification, to Shri Deepak Kumar, Under Secretary, Department of Rural Development, 2nd Floor, Kartavya Bhawan–3, New Delhi – 110001, or may be sent through e-mail at suggestion-vbgramg@gov.in

The objections or suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the aforesaid period shall be considered by the Central Government.

**DRAFT RULES**

**1. Short title and commencement.-**(1) These rules may be called the Viksit Bharat - Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (GRAMIN): VB – G RAM G (विकसित भारत - जी राम जी), manner of Payment of Wages and Unemployment Allowance Rules-2026.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Definitions:** (1) In this rule, unless the context otherwise requires-

(a) "Act" means the Viksit Bharat - Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (GRAMIN): VB – G RAM G (विकसित भारत - जी राम जी) Act, 2025 (36 of 2025);

(b) "Programme Officer" means an officer appointed under sub-section (1) of section 18 of the Act;

(c) "State" means a State specified in the First Schedule to the Constitution and includes a Union territory; and

(d) All other words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act of 2025 shall have the meanings respectively assigned to them in the Act of 2025.

3. **Manner of payment of wages and unemployment allowance.-** (1) All payments of wages and unemployment allowance shall be made through Direct Benefit Transfer directly into the bank or post office account of the beneficiary.

(2) Such payments shall be made in a cashless manner, and no payment in cash shall be permitted. Provided that, in extraordinary circumstances, the Central Government may, by order, exempt from the provisions of this sub-section (2).

(3) All wage payments shall be made in conformity with the extant fund-flow mechanism under the Centrally Sponsored Scheme framework, as determined by the Central Government.

(4) All payments towards unemployment allowances shall be made by the State in conformity with the extant fund-flow mechanism, as determined by the Central Government.

(5) All payments shall be processed electronically through the designated Management Information System of the Scheme or such other digital platform as may be specified by the Central Government from time to time.

(6) For the purpose of ensuring efficiency and transparency, payments shall be effected through the Aadhaar Payment Bridge System (APBS) or such other Aadhaar-based or alternative authentication mechanisms as may be determined by the Central Government, subject to applicable law.

(7) The calculation, generation and processing of payment orders shall be carried out through the digital systems of the Scheme.

(8) The State Government shall ensure that all such payments are duly recorded in the designated Management Information System.

(9) Notwithstanding anything contained in this section, the Central Government may, in extraordinary circumstances, by order, relax or exempt any provision of this section.

[F. No. J-11015/2/2025-US- RE-V]

ROHINI R BHAJIBHAKARE, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.05.21 13:44:02 +05'30'